राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—2115/2025

द्वारकाराम

—अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग,
राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.03.2025
उपस्थिति :—
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर खनिज अभियंता, बाडमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण खनिज अभिंयता, राजसंमद—। में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि अपीलार्थी की माता जी के स्तन कैंसर है, जिसका ईलाज एम्स, जोधपुर में चल रहा है। अपीलार्थी की माता एवं पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अतः अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश स्थगित रखा जाए।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की माताजी का ईलाज जोधपुर में चल रहा है। अपीलार्थी वर्तमान में बाडमेर में कार्यरत है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजसमंद में किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी के

स्थानान्तरण से अपीलार्थी की माताजी का ईलाज जोधपुर में जारी रहने पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं का संबंध है तो हम इस आधार पर अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी अपनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सदैव स्वतंत्र है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)